रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236831
CG-DL-E-27062022-236831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944
No. 320] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASADHA 3, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

फा. सं. 18–27/10970–आईएनसी.— भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नर्सिंग परिषद एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ढांड, आमेर, जयपुर – दिल्ली राजमार्ग, संख्या 11 सी, जयपुर – 302028, राजस्थान, विभिन्न योग्यता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए एक अधिनियम (2012 का अधिनियम संख्या 6) द्वारा 21.03.2012 को अस्तित्व में आया।

और जबकि, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम (आईएनसी अधिनियम) की धारा 10 के तहत महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई नर्सिंग योग्यता की मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद में आवेदन किया था।

और जबकि, भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी अधिनियम की धारा 13 के तहत महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दस्तावेजो का निरीक्षण करती रही है, जिसमें महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कई कमियां पाई गई हैं। गंभीर प्रकृति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अधिकांश पाठ्यक्रमों में, कक्षाओं में भाग लिए बिना परीक्षा आयोजित की जाती है, विशेष रूप से नर्सिंग संकाय में और कक्षाओं में उपस्थित न होने की फीस और उत्तीर्ण होने के लिए अलग – अलग धन के साथ छात्रों से मोटी राशि लेकर डिग्री प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एक ही इमारत में कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे दंत चिकित्सा, नर्सिंग, कानून, फिजियोथेरेपी और अन्य जो नियम के अनुसार अवैध हैं।

और जबकि, उक्त विश्वविद्यालय को 29.06.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कई कमियों को इंगित किया गया था। कि 20.12.2021 को विनायक महाराज ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से जवाब भेजा गया।

और जबकि, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के उत्तर की विस्तार से जांच की गई थी। हालांकि, यह संतोषजनक नहीं पाया गया था, क्योंकि संबंधित साक्ष्य इसका समर्थन नहीं कर रहे थे।

जबकि, भारतीय नर्सिंग परिषद ने दिनांक 16.02.2022 को राजस्थान सरकार को एक पत्र भेजकर उनसे कई कमियों के बारे में आरोपों पर अपनी आलोचना/टिप्पणी मांगी थी।

जबकि, राज्य सरकार की ओर से तय समयसीमा के भीतर कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

इसलिए, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित योग्यताओं की मान्यता को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(ए) के संदर्भ में एतद्द्वारा दिनांक **03 फरवरी 2022** से वापस लिया जाता है।

अतएव यह घोषित किया जाता है कि महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में प्रदत्त कोई भी योग्यता तभी मान्य होगी, जबकि वह दिनांक **03 फरवरी 2022** से पहले दी गई हो।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./139/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 24th June, 2022

F. No. 18-27/10970-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Maharaj Vinayak Global University, Dhand, Amer, Jaipur-Delhi Highway, No. 11C, Jaipur – 302028, Rajasthan came into existence on 21.03.2012 by an enactment (Act No. 6 of 2012) framed by Government of Rajasthan to grant various qualifications.

And whereas, the Maharaj Vinayak Global University had applied to Indian Nursing Council to seek recognition of the nursing qualification granted by the Maharaj Vinayak Global University under Section 10 of the Indian Nursing Council Act (INC Act).

And whereas, the Indian Nursing Council has been conducting inspections of the documents of Maharaj Vinayak Global University under the Section 13 of the INC Act wherein several deficiencies have been found in the Maharaj Vinayak Global University. That complaints of serious nature have been received wherein it has been alleged, amongst others, that in most of the courses of all the faculties in the said University, the examination is conducted without attending classes, especially in the Nursing faculty and Degree is awarded after taking a hefty amount from the students along with the fees for non-attending classes and separate money for passing. Furthermore, many a courses are being run in the same building e.g. Dental, Nursing, Law, Physiotherapy and others which are illegal as per rules.

And whereas, a show cause notice dated 29.06.2021 was issued to the said University pointing out several deficiencies. That a reply 20.12.2021 was sent by the Maharaj Vinayak Global University.

And whereas, the reply of the University was examined in detail by the Indian Nursing Council. However, the same was not found to be satisfactory as the same was not supported by relevant evidence.

Whereas, the Indian Nursing Council had sent a letter dated 16.02.2022 to the State government Rajasthan asking them for their remarks/ comments to the allegations regarding the several deficiencies pointed out.

Whereas, no comments have been received from the state government within the stipulated time.

Hence, therefore, the recognition of qualification granted by Maharaj Vinayak Global University is **hereby withdrawn w.e.f. 03.02.2022**, in terms of Section 14 (3)-a of the Act.

It is declared that any qualification in the field of nursing granted by Maharaj Vinayak Global University shall be treated as recognized qualification only if it was given prior **03.02.2022**.

Lt. Col. (DR.) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./139/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.27 16:30:30 +05'30'